फाइल सं0 6/4/एनसीएससी/2012-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

<u>रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांकः 19 **जुलाई**, 2012

वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 27वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 16-07-2012 को अपराह्न** 1.30 **बजे** आयोजित 27**वीं बैठक** के अनुमोदित कार्यवृत्त की एक प्रति इसके साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाती है ।

(ए. भट्टाचार्य)
अनुसंधान अधिकारी

1. माननीय अध्यक्ष के अपर निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य(आरपी) के निजी सचिव
4. माननीय सदस्य(एमएस) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य(एलपीके) के निजी सचिव
6. सचिव के निजी सहायक
7. संयुक्त सचिव के निजी सचिव

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर <u>3 दिन के भीतर</u> कार्रवाई करें :-

1. परामर्शदाता
2. अवर सचिव (एसएसडब्ल्यू)
3. अवर सचिव (ईएसडीडब्ल्यू)
4. उप निदेशक (एपीसीआर)

(ए. भट्टाचार्य)
अनुसंधान अधिकारी

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 16-07-12 को अपराह्न 1.30 बजे आयोजित 27वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 27वीं बैठक दिनांक 16-07-12 को अपराह्न 1.30 बजे डॉ. पी.एल. पुनिया, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में आयोजित की गई थी ।

1.1 <u>उपस्थित सदस्य:</u>

i) डॉ. राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
ii) श्री राजू परमार, सदस्य
iii) श्री एम. शिवाना, सदस्य
iv) श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्या

2.2 <u>उपस्थित अधिकारी:</u>

i) डॉ. श्याम अग्रवाल, सचिव
ii) श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव
iii) श्री एम.आर. बाली, परामर्शदाता
iv) श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव
v) श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव
vi) श्री कौशल कुमार, उप निदेशक
vii) श्री जगजीत सिंह, अध्यक्ष के अपर निजी सचिव
viii) श्री ए.के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

2. माननीय अध्यक्ष ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

कार्यसूची की मद संख्या 1 एवं 2 :	**दिनांक 21-5-12 को आयोजित आयोग की 26वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा उस पर की गई कार्रवाई ।**

आयोग ने दिनांक 21-5-12 को आयोजित आयोग की 26वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की तथा इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को अनुमोदित किया ।

कार्यसूची की मद संख्या 3	**आयोग के सदस्यों के लिए स्टाफ कार का विकल्प ।**

यह जांच किए जाने का निर्णय लिया गया कि क्या टूर ऑपरेटर के माध्यम से प्राईवेट स्टाफ कार भाड़े पर लेना आवश्यक है और सदस्यों को उनकी हैसियत के अनुसार उपयुक्त तथा कार्यात्मक अपेक्षा के अनुसार सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध करवाया जाए ।

(कार्रवाई: सामान्य अनुभाग)

कार्यसूची की मद संख्या 4	**"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सुदृढ़ीकरण" संबंधी समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जाना और उस पर विचार–विमर्श ।**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सुदृढ़ीकरण पर रिपोर्ट में शामिल करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए और अनुमोदित किए गए:-

(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों जिन्हें अनिवार्य किया जाना है, के लिए संवैधानिक संशोधन के प्रारूप को रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ।

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों का स्टेटस (वर्तमान में सचिव के समकक्ष) का उन्नयन करके उसे राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में प्रावधानों की तरह राज्य मंत्री के समकक्ष किया जाना चाहिए ।

(कार्रवाई: परामर्शदाता)

कार्यसूची की मद संख्या 5 एवं 6 :	**उड़ीसा राज्य की अनुसूचित जाति सूची में संशोधन – निम्न प्रस्तावित है:–** (i) **पतरातंती (क्र.सं. 16), बारीकी (क्र.सं. 3) और कुम्मारी (क्र.सं. 49) समुदायों को हटाना ।** (ii) **गोडिया केला, अधुरिया डोम्ब/अधुरिया डोम, रजक/रजाका और बेतरा समुदायों को शामिल करना ।**

यह निर्णय लिया गया कि संबंधित राज्यों में सार्वजनिक सुनवाई के आयोजन के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अन्तिम राय दी जाएगी । इसे भविष्य में समुदाय के नाम शामिल करने/हटाने के लिए संदर्भित सभी मामलों में अपनाया जाएगा । इसके साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंधित राज्य कार्यालयों से रिपोर्ट मंगवाई जाए ।

यह ध्यान में लाया गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के मामले में अपनाई गई पद्धति निम्न अनुसार है:-

(i) संबंधित राज्य सरकार को कम से कम 3-4 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है ।

(ii) राज्य सरकार कम से कम 2 सप्ताह पहले प्रिन्ट मीडिया में जातियों/उप जातियों के ब्योरे पर परामर्श को दर्शाते हुए विज्ञापन प्रकाशित करती है ।

(iii) आयोग की सार्वजनिक सुनवाई में कोई भी इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकता है ।

(iv) सुनवाई आमतौर पर राज्य के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा किसी मामले के प्रस्तुतिकरण के साथ आरम्भ की जाती है ।

विचाराधीन वर्तमान संदर्भ का उत्तर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार दिया जाए । **(कार्रवाईः एसएसडब्ल्यू)**

कार्यसूची की मद संख्या 7 :	**पंजाब केसरी न्यू पेपर इश्यू दिनांक 26-5-2012 में** "आरक्षण के बारे में सांसदों द्वारा मचाया जा रहा होहल्ला" **तथा टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 26-5-2012 में "द न्यू अनटचेब्लिटी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख ।**

विचार-विमर्श के बाद आयोग ने निर्णय लिया कि मुद्दे पर प्रतिक्रिया न की जाए ।

कार्यसूची की मद संख्या 8 :	**अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद ।**

(i) **शिकायत मानीटरिंग सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) –** हाल ही में जारी कार्यालय आदेश सं. 12/4/एनसीएससी/2010-सी.सैल दिनांक 13-7-2012 (**अनुबंध-I**) को पढ़ा गया । यह निर्णय लिया गया कि इसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाए ।{**कार्रवाईः सी.सैल**}

(ii) **वेबसाइट का विकास और उसकी रीडिजाईनिंगः** इस समय कार्य चल रहा है । इसमें लगभग 4-6 सप्ताह लगेंगे । आयोग को सूचित किया गया कि विषयों की अपलोडिंग जारी है और वेबसाइट अगस्त के अन्त तक तैयार होने की संभावना है । {**कार्रवाईः सी.सैल**}

(iii) **उप-समिति की रिपोर्टः** इन्हें शीघ्र प्रस्तुत किया जाए (स्थिति अनुबंध-II पर) ।

(iv) **वर्ष 2010-।। की (भाग) वार्षिक रिपोर्टःतथा 2011-2012 की रिपोर्टः** शीघ्र तैयार की जाए ।

(v) **बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टमः** कार्यान्वयन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए ।

(vi) **आयोग के नए कार्यालय खोलनाः** आवश्यक सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को पहले ही दे दी गई है । इस पर अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ।

(vii) **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय का नवीकरण तथा मुख्यालय स्थित कार्यालय के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकताः** सम्मेलन कक्ष का नवीकरण आरम्भ हो गया है । इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त कार्यालय स्थान का एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और उसे शीघ्र शहरी विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा । {**कार्रवाईः सामान्य प्रशासन अनुभाग**}

(viii) संयुक्त सचिव ने प्रस्ताव किया कि क्रियाविधि नियमावली के अनुसार सचिव को आयोग में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए जिस पर सचिव की सहमति है । इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाए । {**कार्रवाई: अनुभाग अधिकारी(सतर्कता)**}

अन्त में माननीय अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध–II

अनुसूचित जातियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की समितियां
16–7–2012 के अनुसार

क्र.सं.	समिति का नाम	अध्यक्ष और सदस्य सचिव का नाम	स्थिति
1.	अनुसूचित जातियों पर अत्याचार संबंधी समिति ।	1. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष 2. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक, सदस्य सचिव	देय
2.	एससीपी और एससीएसपी के अन्तर्गत निधियों की प्रभावी उपयोगिता संबंधी समिति । (फाइल सं. 13/2/एनसीएससी/2012-सी.सैल)	1. श्री एम. शिवाना, सदस्य - अध्यक्ष 2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक - सदस्य सचिव	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 25वीं बैठक (12-3-12) में अनुमोदित।
3.	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय स्कूल एवं छात्रावास संबंधी समिति । (फाइल सं. 13/5/एनसीएससी/2012-सी.सैल)	1. श्री एम. शिवाना, सदस्य - अध्यक्ष 2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक - सदस्य सचिव	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 25वीं बैठक (12-3-12) में अनुमोदित।
4.	20सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को भूमि/पट्टा आबंटन संबंधी समिति।	1. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक, सदस्य सचिव	देय
5.	न्यायपालिका में आरक्षण संबंधी समिति । (फाइल सं. 13/3/एनसीएससी/2012-सी.सैल)	1. श्री राजू परमार, सदस्य - अध्यक्ष 2. श्री एस. केशवा अय्यर, उप सचिव- सदस्य सचिव	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 25वीं बैठक (12-3-12) में अनुमोदित।
6.	रोज़गार और आरक्षण संबंधी समिति । (फाइल सं. 13/4/एनसीएससी/2012-सी.सैल)	1. श्री राजू परमार, सदस्य - अध्यक्ष 2. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव- सदस्य सचिव	आयोग द्वारा यथा अनुमोदित "पदोन्नति में आरक्षण" पर रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेजी गई है। रोज़गार पर रिपोर्ट देय है ।
7.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की कार्यप्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी समिति । (फाइल सं. 13/6/एनसीएससी/2012-सी.सैल)	1. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्या - अध्यक्ष 2. श्री एम.आर. बाली, निदेशक - सदस्य सचिव	16-7-12 को 27वीं बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अनुमोदित (संदर्भ कार्यसूची की मद संख्या 4)।

8.	सफाईकर्ता समुदाय की दशा में सुधार ï हाथ से मैला साफ करने का उन्मूलन । (फाइल सं. 13/1/एनसीएससी/2012-सी.सैल)	1. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्या - अध्यक्ष 2. श्री एस. केशवा अय्यर, उप सचिव - सदस्य सचिव	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 25वीं बैठक (12-3-12) में अनुमोदित।
9.	महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा ।	1. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्या - अध्यक्ष 2. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक - सदस्य सचिव	देय
10	शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति/भुगतान/ छात्रवृत्ति की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा ।	1. श्री एम. शिवाना, सदस्य - अध्यक्ष 2. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक - सदस्य सचिव	देय
11.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए नवीकरण/नई योजनाएं ।	1. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्या - अध्यक्ष 2. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक - सदस्य सचिव	देय
12.	अनुसूचित जातियों के लिए योजनाओं/सुरक्षणों/अधिकारों का जागरुकता अभियान ।	1. श्री राजू परमार, सदस्य - अध्यक्ष 2. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव- सदस्य सचिव	देय
13.	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के सुरक्षणों की समीक्षा ।	1. श्री राजू परमार, सदस्य - अध्यक्ष 2. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव- सदस्य सचिव	देय
14.	अन्य राज्यों में प्रवास करने वाली अनुसूचित जातियों से संबंधित समस्याओं की समीक्षा ।	1. श्री राजू परमार, सदस्य - अध्यक्ष 2. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव- सदस्य सचिव	रिपोर्ट दिनांक 2-2-12 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी गई है तथा अध्यक्ष के अगले प्रेक्षण का एसएसडब्ल्यू में कार्यान्वयन किया जा रहा है ।
15.	अनुसूचित जातियों की सूची में दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को शामिल किए जाने के मुद्दे का अध्ययन ।	1. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव- सदस्य सचिव	देय
16.	निजी क्षेत्रों में आरक्षण संबंधी समिति ।	1. श्री राजू परमार, सदस्य - अध्यक्ष 2. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव- सदस्य सचिव	देय